न्यायालय : न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय माण्डल, भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंजना अग्रवाल, RJS (अतिरिक्त कार्यभार)
फौजदारी प्रकरण संख्या – 02/2026
एफआईआर – 308/2025 थाना मांडल
CNR No. – RJBW220000082026

राज्य

–– अभियोगी

– विरूद्ध –

भंवरलाल पिता गोपीलाल उम्र 48 वर्ष निवासी मांडल थाना मांडल जिला भीलवाड़ा।

––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा– 13 आर.पी.जी.ओ एक्ट

01. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।
02. श्री मोहम्मद हनीफ, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक– 25.03.2026**

घटना की दिनांक	10.12.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	10.12.2025
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	07.01.2026
आरोप सुनाए जाने की दिनांक	07.01.2026
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	07.01.2026
बयान मुल्जिम लिए जाने की दिनांक	25.03.2026
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	25.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	25.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	दोषसिद्ध

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.12.2025 को प्रार्थी हनुमान प्रसाद ने थाना मांडल में रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह जाप्ता सलमा बानू महिला कानि. 1861 व मीना महिला कानि. 1775 मय अनुसंधान बॉक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर मय यूपीएस मय प्राईवेट वाहन के मुताबिक निर्देश एसएचओ साहब के वास्ते हल्का गश्त व स्पेशल व लोकल एक्ट की कार्यवाही हेतु थाने से समय 04.00 पीएम पर थाने से रवाना हो गश्त हल्का करता हुआ माण्डल बस स्टैंड पहुंचा जहां पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि सरकारी अस्पताल माण्डल के पीछे वाली रोड पर एक व्यक्ति सटटा की खाईवाली कर रहा है। सूचना मुखबिर विश्वसनीय होने से वह मय हमराही जाप्ता मय निजी वाहन के समय 04.17 पीएम पर रवाना हो समय 04.18 पीएम पर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान माण्डल अस्पताल के पीछे वाली रोड पर पहुंचा जहां एक व्यक्ति पास ही सामने की तरफ उसी रोड पर एक कागज पर पेन से कुछ हिसाब–किताब लिखता हुआ दिखाई दिया व उसके पास ही

2-3 व्यक्ति खड़े नजर आये। जो पुलिस जाप्ता को देख कर भाग गये। पर्ची लिखते हुए व्यक्ति को डिटेन कर उसका नाम पत्ता पूछा तो उसने अपना नाम भंवरलाल पिता गोपीलाल माली उम्र 48 साल निवासी माण्डल पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा होना बताया। जिसके बायें हाथ में एक सटटा पर्ची व दाहीने हाथ में एक बॉल पेन लिये हुये था। अपने पहने हुई कुर्ते की जेब में मुताबिक सटटा पर्ची के 130 रूपये मिले मौके से भागे व्यक्यिों के बारे में पूछा तो उनका नाम-पता नहीं जानना बताया। उक्त भंवरलाल से अपने कब्जे मिले उपरोक्त सटटा सामग्री के लाईसेन्स के बारे मे पूछने पर उसने लाईसेन्स, नहीं होना बताया। इस प्रकार आरोपी भंवरलाल द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सटटे की खाईवाली करना जिससे एक को लाभ व अन्य को हानि होना पाया जाकर भंवरलाल का उक्त कृत्य अपराध धारा 13 आरपीजीओ का अपराध घटित करना पाया जाने से मौके पर किसी व्यक्ति से स्वतंत्र गवाहन बनने के लिये तैयार नहीं होने से उपस्थित जाप्ता सलमा बानू महिला कानि. 1861 व मीना महिला कानि. 1775 को मौतबीर मामूर किये जाकर मुल्जिम भंवरलाल के कब्जे से सटटा राशि 130/रूपये, सटटा सामग्री सटटा पर्ची व पेन को जरिये फर्द ईमरोज समय 04.27 पीएम पर जब्त किये जाकर एक कागज के खाकी रंग के लिफाफा में रख चिटट चस्पा किया.....आदि। जिस पर थाना मांडल में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 380/2025 धारा 13 आर.पी.जी.ओ एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान पुलिस थाना मांडल, भीलवाड़ा द्वारा अभियुक्त भंवरलाल के विरूद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ एक्ट के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 07.01.2026 को धारा 13 आर.पी.जी.ओ एक्ट में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2- अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ एक्ट के आरोप मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	सलमा बानू	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू. 02	मीना कसाना	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू. 03	हनुमान प्रसाद	परिवादी
पी.डब्ल्यू. 04	महावीर प्रसाद	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन दस्तावेज सूची

क्रम सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	फर्द जप्ती
02	प्रदर्श पी 02	नक्शा मौका घटनास्थल
03	प्रदर्श पी 03	तहरीरी रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी 04	चाक एफआईआर
05	प्रदर्श पी 05	धारा 64(4) (सी) का प्रमाण पत्र
06	प्रदर्श पी 06	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति

3- अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन गवाहान की साक्ष्य गलत होना तथा स्वयं का झुठा फंसाया जाने का कथन किया है।

4- अभियुक्त ने अपीलीय न्यायालय में हाजरी बाबत् धारा 437 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि हेतु 10 हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाये गये।

5- बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः-

1. ''क्या दिनांक 10.12.2025 को समय करीब 04.18 पीएम पर सरकारी अस्पताल मांडल के पीछे वाली रोड पर अभियुक्त भंवरलाल सट्टा पर्ची काटते हुए पाया गया जिसके कब्जे से एक सट्टा पर्ची, बॉल पेन व 130/- रूपये बरामद हुए। एतदद्वारा अभियुक्त ने धारा 13 आर.पी.जी.ओ एक्ट का अपराध कारित किया ? ''

2- यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय होगा ?

6- उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

7- दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिये कि प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। केवल पुलिस कार्यवाही करने वाले व्यक्ति ही साक्षीगण है। प्रकरण में तथ्यों को छिपाया गया है। प्रकरण में गवाहों ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन किये है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8- सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर अधिवक्ता अभियुक्त को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

9- उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन कि गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समग्र रूप से विश्लेषण करें तो प्रकरण में कुल 04 गवाह परीक्षित हुए हैं।

10- उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 गवाह पी.डब्ल्यू 03 हनुमान प्रसाद के द्वारा दर्ज करवायी गयी है। उक्त तहरीरी रिपोर्ट के संदर्भ में गवाह पी .डब्ल्यू.03 हनुमान प्रसाद के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 10.12.25 को थाना माण्डल पर वह एचसी के पद पर कार्यरत था। उस दिन एसएचओ साहब के आदेश से लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई हेतु वह, महिला कॉनि सलमा बानू व मीना मय अनुसंधान बॉक्स, मय लैपटॉप व प्रिंटर के प्राइवेट वाहन के थाने से 4.00 पी एम पर रवाना हो हल्का गश्त करते हुए माण्डल सब स्टेंड पहुंचे। जहां जरिये मुखबिर इत्तला मिली कि सरकारी अस्पताल माण्डल के पीछे वाली रोड पर एक व्यक्ति सट्टा की खाइवली कर रहा है। मुखबिर की इत्तला विश्वसनीय होने से वे 4.18 पीएम पर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान माण्डल अस्पताल की पीछे वाली रोड पर पहुंचे, जहां पर 1 व्यक्ति सामने की तरफ उसी रोड पर एक कागज पेन से हिसाब लिखता हुआ दिखाई दिया व उसके पास 2-3 व्यक्ति खड़े नजर आए। जो पुलिस जाप्ते को देखकर भाग गए। पर्ची लिखते हुए व्यक्ति से उसने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भंवरलाल पिता गोपीलाल निवासी माण्डल थाना माण्डल जिला भीलवाडा का होना बताया। उसके हाथ में

सट्टा पर्ची व एक बॉल पैन था। उसकी जेब से मुताबिक सट्टा पर्ची 130 रू. मिले। मौके से भागे गए व्यक्तियों का उससे नाम पता पूछा तो उसने मालूम नहीं होना बताया। लाइसेंसे के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। आरोपी भंवर सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाइवली करना जिससे एक व्यक्ति को लाभ व अन्य हो हानि होने से भंवरलाल का कृत्य धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के अपराध का घटित होना पाया गया। मौके पर किसी स्वतंत्र गवाह के नहीं होने से उसने जाप्ते में से सलमा बानू व मीना को गवाह मामूर कर जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 मुल्जिम भंवरलाल के कब्जे से सट्टा राशि 130 रू. सट्टा सामग्री पर्ची व पैन को एक कागज के खाकी रंग के लिफाफे में रखकर सीलचिट किया। प्रदर्श पी 1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। नियमानुसार धारा 105 बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत जप्ती बनाई गई। अभियुक्त को पुलिस जमानत पर रिहा किया गया। वह मय जप्तशुदा माल मय जाप्ता थाने पर वापस आया। उसके द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 दर्ज कराई गई। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 4 है। महावीर प्रसाद ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श पी 2 है। धारा 63(4)(सी) का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 5 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उन्होंने सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो। यह कहना गलत है कि उन्होंने प्रकरण में मुलजिम को झूठा फंसाया हो।

11- गवाह पीडब्ल्यू 03 हनुमान प्रसाद ने अपने साथ मौके पर कानि सलमा बानू व मीना को होना बताया है। इस संदर्भ में गवाह पीडब्लयू 01 सलमा बानू के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू 01 सलमा बानू ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 10.12.25 को थाना माण्डल पर महिला कॉनि के पद पर कार्यरत थी। उस दिन एसएचओ साहब के आदेश से लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई हेतु वह, एचसी हनुमान प्रसाद, महिला कॉनि मीना मय अनुसंधान बॉक्स, मय लैपटॉप व प्रिंटर के प्राइवेट वाहन के थाने से 4. 00 पीएम पर रवाना हो हल्का गश्त करते हुए माण्डल सब स्टेण्ड पहुंचे। जहां जरिये मुखबिर इत्तला मिली कि सरकारी अस्पताल माण्डल के पीछे वाली रोड पर एक व्यक्ति सट्टा की खाईवली कर रहा है। मुखबिर की इत्तिला विश्वसनीय होने से वे 4.18 पीएम पर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान माण्डल अस्पताल की पीछे वाली रोड पर पहुंचे, जहां पर 1 व्यक्ति सामने की तरफ उसी रोड पर एक कागज पेन से हिसाब लिखता हुआ दिखाई दिया व उसके पास 2-3 व्यक्ति खड़े नजर आए। जो पुलिस जाप्ते को देखकर भाग गए। पर्ची लिखते हुए व्यक्ति से एचसी हनुमान प्रसाद ने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भंवरलाल पिता गोपीलाल निवासी माण्डल थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा का होना बताया। उसके हाथ में सट्टा पर्ची व एक बॉल पैन था। उसकी जेब से मुताबिक सट्टा पर्ची 130 रु. मिले। मौके से भागे गए व्यक्तियों का उससे नाम पता पूछा तो उसने मालूम नहीं होना बताया। लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। आरोपी भंवर सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईवली करना जिससे एक व्यक्ति को लाभ व अन्य हो हानि होने से भंवरलाल का कृत्य धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के अपराध का घटित होना पाया गया। मौके पर किसी स्वतंत्र गवाह के नहीं होने से हनुमान जी ने उसे व मीना को गवाह मामूर कर जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 मुल्जिम भंवरलाल के कब्जे से सट्टा राशि 130 रू. सट्टा सामग्री पर्ची व पैन को एक कागज के खाकी रंग के लिफाफे में रखकर सीलचिट किया। प्रदर्श पी 1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। नियमानुसार धारा 105 बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत जप्ती बनाई गई। अभियुक्त को पुलिस जमानत पर रिहा किया गया। महावीर प्रसाद ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श पी 2 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उन्होंने सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो। यह कहना गलत है कि उन्होंने प्रकरण में मुल्जिम को झूठा फंसाया हो।

12- गवाह पीडब्ल्यू 03 हनुमान प्रसाद व पीडब्ल्यू 01 सलमा बानू ने अपने साथ मौके पर कानि मीना को होना बताया है। इस संदर्भ में गवाह पीडब्लयू 02 मीना के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू 02 मीना ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 10.12.25 को थाना माण्डल पर महिला कॉनि के पद पर कार्यरत थी। उस दिन एसएचओ साहब के आदेश से लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई हेतु वह, एचसी हनुमान प्रसाद, महिला कॉनि सलमा बानू मय अनुसंधान बॉक्स, मय लैपटॉप व प्रिंटर के प्राइवेट वाहन के थाने से 4.00 पीएम पर रवाना हो हल्का गश्त करते हुए माण्डल सब स्टेंड पहुंचे। जहां जरिये मुखबिर इत्तला मिली कि सरकारी अस्पताल माण्डल के पीछे वाली रोड पर एक व्यक्ति सट्टा की खाइवली कर रहा है। मुखबिर की इत्तला विश्वसनीय होने से वे 4.18 पीएम पर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान माण्डल अस्पताल की पीछे वाली रोड पर पहुंचे, जहां पर 1 व्यक्ति सामने की तरफ उसी रोड पर एक कागज पेन से हिसाब लिखता हुआ दिखाई दिया व उसके पास 2-3 व्यक्ति खड़े नजर आए। जो पुलिस जाप्ते को देखकर भाग गए। पर्ची लिखते हुए व्यक्ति से एचसी हनुमान प्रसाद ने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भंवरलाल पिता गोपीलाल निवासी माण्डल थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा का होना बताया। उसके हाथ में सट्टा पर्ची व एक बॉल पैन था। उसकी जेब से मुताबिक सट्टा पर्ची 130 रू. मिले। मौके से भागे गए व्यक्तियों का उससे नाम पता पूछा तो उसने मालूम नहीं होना बताया। लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। आरोपी भंवर सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाइवली करना जिससे एक व्यक्ति को लाभ व अन्य हो हानि होने से भंवरलाल का कृत्य धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के अपराध का घटित होना पाया गया। मौके पर किसी स्वतन्त्र गवाह के नहीं होने से हनुमान जी ने उसे व सलमा बानू को गवाह मामूर कर जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 मुल्जिम भंवरलाल के कब्जे से सट्टा राशि 130 रू. सट्टा सामग्री पर्ची व पैन को एक कागज के खाकी रंग के लिफाफे में रखकर सीलचिट किया। प्रदर्श पी 1 पर उसके हस्ताक्षर है। नियमानुसार धारा 105 बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत जप्ती बनाई गई। अभियुक्त को पुलिस जमानत पर रिहा किया गया। महावीर प्रसाद ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श पी 2 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उन्होंने सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो। यह कहना गलत है कि उन्होंने प्रकरण में मुलजिम को झूठा फंसाया हो।

13- गवाह पी.डब्ल्यु 04 महावीर प्रसाद जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 10.12.2025 को थाना माण्डल में हैड कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन हनुमान प्रसाद ने एक रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 पेश की जिस पर शिवलाल ने अनुसंधान हेतु उक्त रिपोर्ट उसे सुपुर्द की। जिस पर प्रकरण संख्या 02/2026 अंतर्गत 13 आरपीजीओ में अनुसंधान प्रारंभ कर फर्द निरीक्षण घटना स्थल बनाया गया जो प्रदर्श पी 02 है। गवाहान के पुलिस बयान हनुमान प्रसाद, सलमा बानु, मीना के लेखबद्ध किये गये। उस समय मालखाना इंजार्ज होने से खाकी रंग का लिफाफा, बाल पेन, सटटा राशि का मालखाना रजि में उसके द्वारा इन्द्राज किया गया। मालखाना की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 06 है। बाद संपूर्ण अनुसंधान उसके द्वारा अभियुक्त भंवरलाल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ में पाया गया। आरोप पत्र के प्रत्येक पृष्ट पर रोहिताश जी के हस्ताक्षर हैं। जिनके हस्ताक्षर उनके साथ कार्य करने से पहचानता है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसके द्वारा सारी कार्यवाही थाने में बैठकर की गई हो।

14- इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 03 हनुमान प्रसाद, पीडब्लयू 01 सलमा बानू व पीडब्ल्यू 02 मीना कसाना ने सरकारी अस्पताल मांडल के पीछे वाली रोड पर पहुंचने जहां पर

अभियुक्त भंवरलाल का जुआ सट्टा पर्ची काटते हुए नजर आने, अभियुक्त के कब्जे से सट्टा पर्ची व एक बॉल पेन, 130 रूपये बरामद होने का कथन किया है। गवाह पीडब्लयू 04 महावीर प्रसाद ने जप्तशुदा माल को जमा मालखाना करने एवं प्रकरण में अनुसंधान करने बाबत् कथन किये है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह की गई है परंतु दौराने जिरह अभियोजन गवाहों की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहान की मौखिक साक्ष्य से यह साबित है कि दिनांक 10.12.2025 को समय करीब 04.18 पीएम पर सरकारी अस्पताल मांडल के पीछे वाली रोड पर अभियुक्त भंवरलाल सट्टा पर्ची काटते हुए पाया गया जिसके कब्जे से एक सट्टा पर्ची, बॉल पेन व 130/- रूपये बरामद हुए।

15- अतः उपरोक्त समग्र साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 13 आर.पी.जी.ओ को साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 10.12.2025 को समय करीब 04.18 पीएम पर सरकारी अस्पताल मांडल के पीछे वाली रोड पर अभियुक्त भंवरलाल सट्टा पर्ची काटते हुए पाया गया जिसके कब्जे से एक सट्टा पर्ची, बॉल पेन व 130/- रूपये बरामद हुए। फलतः अभियुक्त भंवरलाल को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 13 आरपीजीओ में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

---आदेश---

16- निष्कर्षतः अभियुक्त भंवरलाल पिता गोपीलाल उम्र 48 वर्ष निवासी मांडल थाना मांडल जिला भीलवाड़ा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अंजना अग्रवाल)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
माण्डल, भीलवाड़ा
(अतिरिक्त कार्यभार)

सजा के प्रश्न पर

17- सजा के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई दोषसिद्धि नहीं है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जावे।

18- अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि, खराब आचरण, अभ्यस्त अपराधी होने बाबत् कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त ने स्वयं को पूर्व में दोषसिद्ध नहीं किये जाने एवं परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

---दण्डादेश--

19- परिणामतः अभियुक्त भंवरलाल पिता गोपीलाल उम्र 48 वर्ष निवासी मांडल थाना

मांडल जिला भीलवाड़ा को अपराध धारा 13 आर.पी.जी.ओ एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने पर तुरंत कारावास से दण्डित करने के बजाए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 में भत्र्सना देकर छोड़ा जाता है कि वह भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। साथ ही धारा 05 परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त 100/- रुपये (अक्षरे सौ रुपये) अभियोजन व्यय के न्यायालय में जमा करवायेगा।

20- प्रकरण में जप्तशुदा सट्टा सामग्री को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे व जप्तशुदा सट्टा राशि 130/- रुपये को नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जावे।

(अंजना अग्रवाल)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
माण्डल, भीलवाड़ा
(अतिरिक्त कार्यभार)

21- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना अग्रवाल)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
माण्डल, भीलवाड़ा
(अतिरिक्त कार्यभार)